पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:—84 / 2025

1. आशीष पुत्र सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

2 सन्दीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादी

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रोहीताश चाहर व प्रतिवादी वकील अरविन्द नैण अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं0 5 सीडीआर के खाता सं0 80 / 76 की कुल 1.265 है0 कृषि भूमि मे से 1 / 2 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 86 / 80 की कुल 0.759 है0 कृषि भूमि में 1 / 2 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 5 सीडीआर के खाता सं0 80 / 76 व 86 / 80 में से प्रतिवादी सन्दीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with CamScanner